छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर , दिनांक : 30/03/2017

क्रमांक : 2341 /2133/2017/18 :: – राज्य शासन, एतद् द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 418 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नगर पालिक निगम रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, चिरमिरी एवं जगदलपुर भवन अनुज्ञा प्रकरणों में भूमि विकास नियम 1984 में वैष्ठित प्रावधानों के तहत राज्य शासन के निर्देशों के द्वारा तैयार किये गए ऑनलाईन भवन अनुज्ञा पोर्टल htttpps://bpms.sudacg.in में ही ऑनलाईन रीति से स्वीकार किये जायेंगे एवं अनुमोदन की समस्त प्रक्रियाएं पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाईन की जावेंगी। उपरोक्त नगर पालिक निगम में स्थित समस्त आंतरिक एजेंसी जैसे जलकर्म विभाग, अग्निशमन विभाग आदि की भवन अनुज्ञा से संबंधित आनुषांगिक प्रक्रियाएं यथा एनओसी आदि भी पोर्टल के माध्यम से ही पूर्ण की जावेगी। भवन अनुज्ञा से संबंधित समस्त भुगतान केवल ऑनलाईन पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही स्वीकार होंगे। भवन अनुज्ञा जारी करने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्थिति में आवेदक नागरिक/आर्किटेक्ट निकाय से व्यक्तिगत संपर्क नहीं करेंगे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

छ.ग. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एच.आर. दुबे) 30/3
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ.क्रमांक 2342 /2133/2017/18 नया रायपुर दिनांक :30/03/2017

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी., नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. विशेष सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग. नया रायपुर।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ.ग., नया रायपुर।
5. संचालक, संचालनालय, ग्राम तथा नगर निवेश विभाग, नया रायपुर।
6. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, छ0ग0।
7. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, छ0ग0।
8. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव 30/3
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर , दिनांक 30 / 03 / 2017

क्रमांक : 2345 / 2131 / 2017 / 18 :: – क्योंकि भारत सरकार और राज्य शासन शहरों के व्यवस्थित विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु भवन निर्माण को और विनियमित करने के इच्छुक है, और क्योंकि भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, द्वारा उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में राज्य शासन की सहायता और मार्गदर्शन हेतु आदर्श भवन उपविधि, 2016 तैयार किया गया है, और क्योंकि राज्य शासन सिद्धांत रूप से आदर्श भवन उपविधि, 2016 में शामिल विनियमन के बिन्दुओं से सहमत है कि इनके समावेश से प्रदेश में प्रभावशील भवन उपविधियों / नियमों में और सुधार आयेगा;

अतएव राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

(1) यह कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा यथा निर्मित आदर्श भवन उपविधि, 2016 को एतद् द्वारा प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में भवन उपविधियों / नियमों में संशोधन हेतु मार्गदर्शन दस्तावेज के रूप में अंगीकृत किया जाता है;

(2) यह है कि विशेष रूप से आदर्श भवन उपविधि, 2016 के वे चौदह लक्षण, अर्थात, सार्वजनिक भवनों में आगंतुकों के लिए पृथक से निर्मित शौचालय; हाई–राईज भवनों हेतु प्रावधान; ढांचागत सुरक्षा संबंधी प्रावधान; दिव्यागों, वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों हेतु प्रावधान; वर्षा जल संग्रहण; हरित भवन तथा इसकी अवरितता संबंधी प्रावधान; जल पुनर्चकण तथा पुनर्उयोग; छतों पर सौर ऊर्जा यंत्र की स्थापना, सौर ऊर्जा आधारित गरम जल की व्यवस्था की स्थापना; अविरत जल प्रबंधन; ग्रीन रेटिंग व्यवस्था; भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान करने की व्यवस्था का एकल खिडकी प्रणाली जिसमें समस्त स्वीकृतियों की प्राप्ति के बाद तीस दिनों में आनलाईन स्वीकृति की व्यवस्था हो; जोखिम के आधार पर भवनों के प्रस्तावों का वर्गीकरण; मौसम से सुरक्षित भवन निर्माण; भवन निर्माण अनुज्ञा के साथ पर्यावरण संबंधी स्वीकृति को जोडना ; – प्रदेश में कियान्वयन हेतु मान्य किये जाने है।

(3) यह कि आदर्श भवन उपविधि, 2016 में शामिल अनेक प्रावधान प्रदेश में पहले से ही लागू है;

(4) यह कि अन्य प्रावधान प्रासंगिक नियम/उपविधि में अंतःस्थापित किये जावेंगे जो कार्य तत्काल प्रभाव से प्रारंभ कर चरण–बद्ध ढंग से पूर्ण किया जावेगा।

छ.ग. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एच.आर. दुबे) 30/3
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ.क्रमांक :2346/2131/2017/18 नया रायपुर दिनांक :30/03/2017

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी., नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. विशेष सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय नया रायपुर।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ.ग., नया रायपुर।
5. संचालक, संचालनालय, ग्राम तथा नगर निवेश विभाग, नया रायपुर।
6. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, छ0ग0।
7. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, छ.ग.।
8. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव 30/3
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर , दिनांक : 30/03/2017

क्रमांक : 2343 /2132/2017/18 :: – नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 67 की उपधारा (ल) एवं (र) सहपठित धारा एवं नगर पालिक अधिनियम 1961 की धारा 418 की सहपठित धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, भवन अनुज्ञा प्रकरणों में भूमि विकास नियम 1984 की उपविधि या नियम में पर्यावरणीय शर्तों के समाकलन के प्रावधान विरचित नहीं है। अतएव राज्य शासन, एतद्द्वारा निर्माण उपनियम में पर्यावरणीय शर्तों के समाकलन (Integration of Environmental Condition in Building Bye-laws) के प्रावधान हेतु पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 09 दिसंबर 2016, संख्या 2910, व्यष्टिक परियोजनाओं के मूल्यांकन की विद्यमान प्रक्रिया तथा इमारतों और संनिर्माणों के लिए पर्यावरण अनापत्ति की मंजूरी हेतु अधिसूचना में प्रावधानित शर्तो का पालन करने हेतु समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित करता है। अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक–11 में उल्लेखित अनुसार प्रकोष्ठ का गठन करते हुए, विहित प्रक्रिया अनुरूप पर्यावरण शर्तो से संबंधित समस्त आनुषांगिक कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 में समुचित प्रावधानों के ग्रहित करने तक उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

छ.ग. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एच.आर. दुबे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ.क्रमांक 2344 /2132/2017/18 नया रायपुर दिनांक : 30/03/2017

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी., नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. विशेष सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग. नया रायपुर।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ.ग., नया रायपुर।
5. संचालक, संचालनालय, ग्राम तथा नगर निवेश विभाग, नया रायपुर।
6. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, छ0ग0।
7. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, छ.ग.।
8. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

Order 2017